रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 3, 2012/चैत्र 14, 1934
No. 635] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 3, 2012/CHAITRA 14, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2012

का.आ. 725(अ).—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए बनाए गए प्रस्ताव भारत के राजपत्र, भाग - 2, खंड - 3, उपखंड - (ii) तारीख 9 नवम्बर, 2011 जिसे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का0आ0 2521(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2011 में प्रकाशित किए गए थे,

और उन सभी प्रभावित व्यक्तियों से उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 9 नवम्बर, 2011 को उपलब्ध करा दी गयी थी,

और उक्त प्रारुप पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे,

और, यह आवश्यक है कि आयातकर्ता देशों के उच्चतम क्वालिटी मानकों और नियत स्वास्थ्य अपेक्षाओं को बनाए रखा जाए तथा जो राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विहित मानकों को सम्मिलित करेंगे;

और, आयातकर्ता देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में, मानीटरिंग प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपबंध बनाए जाएंगे जो सभी उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हों,

और, हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिए स्वास्थ्य अपेक्षाएं अधिकथित की जानी चाहिए,

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

और प्रसंस्करणकर्ता का यह प्राथमिक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन इस आदेश में अधिकथित स्वास्थ्य अपेक्षाओं को पूरा करेंगे,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ।

अतः केन्द्रीय सरकार की निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात, यह राय दी गई है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि ;

(1) यह अधिसूचित करना कि हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण , निरीक्षण और मानीटरिंग के अधीन होंगे,

(2) अधिकथित हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2011 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण , निरीक्षण और मानीटरी के प्रकार की प्रारूपानुसार विनिर्दिष्ट करना जो कि निर्यात से पूर्व हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन पर लागू होंगे ।

(3) मान्यता देना,

क. आयातकर्ता देशों के राष्ट्रीय मानक या अंतरराष्ट्रीय मानकों को ,

या

ख. विदेशी क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य करार पाए गए संविदात्मक विनिर्देश किए गए जो आयातकर्ता देशों की स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हों ,

और

ग. उपरोक्त खंड क और खंड ख में यथावर्णित किसी विनिर्देश की अनुपस्थिति में भारतीय मानक को ,

और

घ. उपरोक्त खंड क , ख और ग में यथावर्णित किसी विनिर्देश की अनुपस्थिति में निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा गठित किसी समिति द्वारा बनाए गए मानकों को ,

4. अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में, हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन का निर्यात प्रतिषिद्ध होगा जब तक कि वह, केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए किसी अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ होगा कि प्रसंस्करण स्थापन अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा मानीटर की जाती है, और हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित स्थितियों से आश्वस्त हैं ।

[फा. सं. 3/61/2007-निर्यात निरीक्षण]

देविन्दर सिंह टेसी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 3rd April, 2012

S.O. 725(E).—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Crushed Bones, Ossein and Gelatine to quality control and inspection prior to export, were published as required by sub rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 9th November 2011, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce number S.O. 2521 (E), dated 9th November 2011;

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days of the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 9th November 2011;

And, whereas, no objections and suggestions were received from the public on the said draft;

And, whereas, it is necessary to maintain the highest quality standards and stipulate health requirements of importing countries and that would encompass the standards prescribed at National / International level;

And, whereas, provisions should, therefore, be made for a procedure for monitoring to ensure the above conditions of equivalence with reference to the requirements of the importing countries;

And, whereas, health requirements should be laid down for the production, storage and transport of Crushed bones, Ossein and Gelatine;

And, whereas, it is the responsibility primarily of the processors to ensure that Crushed Bones, Ossein and Gelatine should meet the health requirements laid down in this order;

And, whereas, the Central Government has formulated the proposal specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of the rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964.

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council , being of the opinion that it is necessary and expedient to do so for the development of the export trade of India, hereby : -

(1) notifies that Crushed Bones, Ossein and Gelatine shall be subjected to quality control, inspection and monitoring prior to export;

(2) specifies that the type of quality control, inspection and monitoring shall be in accordance with the Export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2011, as the type of quality control, inspection and monitoring which shall be applied to such Crushed Bones, Ossein & Gelatine prior to export;

(3) recognizes;

a. national standards of the importing countries or the international standards,

Or

b. contractual specifications agreed to between the foreign buyer and the exporter provided that the same is satisfying the health and other requirements of the importing country,

And

c. in absence of any specifications as mentioned in clause a & b above, the Indian standards,

And

d. in absence of any specifications as mentioned in clause a, b & c above, the standards laid down by a committee constituted by the Export Inspection Council.

(4) prohibits the export, in the course of international trade, of such Crushed Bones, Ossein and Gelatine unless the same are accompanied by a certificate issued by an authority designated for the purpose by the Central Competent Authority to the effect that the processing establishment is approved and monitored by the designated Competent Authority and that the consignment of Crushed Bones, Ossein and Gelatine satisfies the conditions relating to its quality control and inspection.

[F. No. 3/61/2007-Export Inspection]

DEPINDER SINGH DHESI, Jt. Secy.

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2012

का.आ. 726(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हड्डियों के चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) " अधिनियम " से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) " हड्डी मिल" से कोई परिसर जहाँ हड्डियों का चूरा तैयार किए जाते हैं । किसी हड्डी मिल में एकीकृत संग्रहण कैन्द्र हो सकेगा, अभिप्रेत है, ;

(ग) " केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी " से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है ;

(घ) " संग्रहण केन्द्र " से वह परिसर जिसमें पशुओं के हड्डी, चर्म, खाल, कंडरा और स्नायु के संग्रहण तथा उसकी स्थापनों से परिवहन किया जाना अभिप्रेत है ;

(ङ) " सक्षम प्राधिकारी " से किसी केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात के लिए आशयित प्रसंस्करण स्थापन के अनुमोदन और मानीटरिंग के लिए कोई प्राधिकृत या अभिहित या मान्यताप्राप्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) " हड्डियों का चूर्ण " से ओसीन और जिलेटिन के उत्पादन में उपयोग के लिए विभिन्न आकार के गोजातीय वंश के पशुओं की हड्डियों के चूर्ण अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत एग्रीस बोन्स चिप्स और जेल बोनस भी है।

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

(छ) " निदेशक " से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त निदेशक निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण अभिप्रेत है;

(ज) " स्थापन " से कोई भी परिसर जहाँ हड्डियों का चूर्ण या ओसीन या जिलेटिन तैयार, संसाधित, पैक या भंडारण किए जाते हैं अभिप्रेत है ;

(झ) " जिलेटिन " से मानव उपभोग के लिए आशयित या गैर मानव उपभोग के लिए आशयित प्राकृतिक, घुलनशील प्रोटीन जैली या गैर जैली सामग्री जो पशुओं की हड्डियों, चर्म और खाल, कण्डरा या स्नायु से अभिप्राप्त सामग्री अभिप्रेत है;

(ञ) " स्वास्थ्य प्रमाणपत्र " से आयातकर्ता देश की अपेक्षानुसार जारी कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है

(ट) " ओसीन " से हड्डियों के कार्बनिक आधात्री को छोड़ते हुए जब खनिज लवणों तनु अम्ल में विघटित करना अभिप्रेत है यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हड्डियों के खनिजन के पश्चात् कोलैजन के समान रासायनिक रूप के समरूप है ;

(ठ) " वधशाला " से भवन, परिसर या स्थान अभिप्रेत है जहाँ से पशुओं को वध करने के लिए राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है ;

3. अनुपालन का आधार:- (1) संग्रहण केन्द्र का यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा कि वे स्वास्थ्यकर दशाओं में हड्डियों, पशुओं की चर्म, खाल, कण्डरा और स्नायु का हथालन , भण्डारण और परिवहन करेंगे ।

(2) स्थापन का यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा कि आयात के लिए आशयित हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन स्वास्थ्यकर दशाओं के अधीन उत्पादन, भण्डारण और परिवहन के सभी स्तरों पर हथालन और संसाधित किए गए हैं इसलिए इन नियमों के अधीन अधिकथित स्वास्थ्य अपेक्षाओं को पूरा करती हैं और उत्पादन अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप होगा। इस प्रयोजन के लिए स्थापन उसे यथा लागू अच्छी विनिर्माण व्यवहार, अच्छी स्वास्थ्यकर व्यवहार तथा परिसंकट विश्लेषण और आलोचनात्मक नियंत्रण बिन्दु (ए वि आ नि बि) प्रणाली अंगीकृत करेगा ।

(3). केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी संग्रहण केन्द्रों, हड्डी मिलों और स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण, अनुमोदन, मानीटरी और अनुमोदन के वापस लेने के लिए समय- समय पर आवश्यक अनुदेश जारी कर सकेगा ।

(4) आयातकर्ता देशों द्वारा अनुज्ञात या यथानियत स्तरों से अधिक असूचित पदार्थ के अंतर्विष्ट कमियाँ ओसीन और जिलेटिन में नहीं होंगे ।

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

4. हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन के निर्यात के लिए अनुपालन की शर्तें

(1) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोई कानूनी निर्बंधन जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक या पर्यावरणीय या संरक्षण भी है अध्युपाय अधिरोपित करेगी ।

(2) हड्डियों का चूर्ण, ओसीन या जिलेटिन का विनिर्माण करने के लिए उपयोग में आने वाली कच्ची सामग्री किसी वधशाला में वध किए गए पशुओं और ऐसे शव से व्युत्पन्न होंगे जिन्हें पूर्व या शव परीक्षा को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाया जाता है या पशुओं के चर्म और खाल की दशा में मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाया जाए ।

(3) संग्रहण केन्द्र उपाबंध - 1 में दी गयी अपेक्षाओं का पालन करेंगे ।

(4) एकीकृत वधशाला के साथ स्थापन उपाबंध - 2 में दी गयी अपेक्षाओं के अनुसार पालन करेगा। अन्य वधशालाएं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होंगी तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विहित मानकों का पालन करेंगे ।

(5) निर्यात के लिए आशयित हड्डियों का चूर्ण, ओसीन या जिलेटिन का प्रसंस्कृत और केवल किसी अनुमोदित स्थापन में पैक होगा। ऐसे स्थापन में अच्छी विनिर्माण व्यवहार, अच्छी स्वास्थ्यकर व्यवहार और एचएसीसीपी विश्लेषण और क्रान्तिक नियंत्रण बिन्दु पध्दति और जो उन पर लागू हो, अंगीकृत होंगे

(6) स्थापन हड्डियों का चूर्ण का प्रसंस्करण उपाबंध- 3 में दी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे। हड्डियाँ केवल ऐसे स्थापन से जो भारतीय रसायन और सहबध्द निर्यात संवर्धन परिषद (सीएपीईएक्सआईएल) या केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी से इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत हड्डी संग्रहण केन्द्र से उपाप्त करेंगे।

(7) ओसीन की प्रसंस्करण स्थापन उपाबंध - 4 में दी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगें। केवल ऐसे स्थापन से जो भारतीय रसायन और सहबध्द निर्यात संवर्धन परिषद (सीएपीईएक्सआईएल) या केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत हड्डी मिल से हड्डियों का चूर्ण उपाप्त करेगा।

(8) जिलेटिन प्रसंस्करण स्थापन उपाबंध - 5 में दी गयी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगें। केवल ऐसे स्थापन से जो भारतीय रसायन और सहबध्द निर्यात संवर्धन परिषद (सीएपीईएक्सआईएल) या केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत हड्डी मिल/संग्रहण केन्द्र से पशुओं की हड्डियों का चूर्ण, चर्म, खाल, कण्डरा और स्नायु उपाप्त करेगा ।

(9) हड्डियों का चूर्ण, ओसीन जिलेटिन के प्रसंस्करण में स्थापन द्वारा आशयित देश की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

(10) स्थापन उत्तरदायी व्यक्ति रखेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन के सभी स्तरों पर स्थापन के अनुपालन के लिए विहित सभी अपेक्षाओं को सभी आवश्यक उपायों को पूरा करने के लिए सशक्त हो।

5. संग्रहण केन्द्रों और स्थापनों का अनुमोदन , निरीक्षण और मानीटरिंग :-

(1) सक्षम प्राधिकारी इस बात की संतुष्टि के पश्चात् कि स्थापनाएं जिस प्रकृति का कार्य कर रही हैं उसके अनुरुप अपेक्षाओं को पूरा करती हैं, ऐसी स्थापनों को अनुमोदन प्रदान करेगा । अनुमोदित स्थापनों को एक अनुमोदित संख्या आबंटित हो।

(2) यदि स्थापनों द्वारा अनुमोदित क्रियाकलापों से भिन्न क्रियाकलाप किए जाने का विनिश्चय करते हैं तो वह नयी क्रियाकलाप की सिफारिश से पूर्व केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट अनुमोदन अभिप्राप्त करेंगे।

(3) सक्षम प्राधिकारी स्वयं अनुमोदित स्थापनों की सूची कालिकतः निकालेंगे और उसे केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी को भेजेंगे। सूची में किए गए पश्चातवर्ती परिवर्तन को भी केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्री हड्डी मिल/संग्रह केन्द्र और अनुमोदित स्थापनों की नियमित रुप से मानीटर की जाएगी।

(5) सक्षम प्राधिकारी यदि अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो आवश्यक उपाय करेगा ।

(6) केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सक्षम प्राधिकारी उसके द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों को निभा कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी के द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार सक्षम प्राधिकारी के कार्य संचालन का निगमित लेखा परीक्षा की जाएगी।

(7) केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित स्थापनों की सूची को समुचित प्राधिकारियों को सूचित करेगी।

(8) केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत हड्डी मिलों/संग्रहण केन्द्रों और अनुमोदित स्थापनों का पर्यवेक्षीय लेखा परीक्षा संचालित कर यह सुनिश्चित करेगी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके द्वारा जारी अनुदेशों और इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार उनका रजिस्ट्रीकरण, अनुमोदन और मानीटरिंग की जा रही है।

(9) केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी सभी समयों पर संग्रहण केन्द्रों और अनुमोदित स्थापनों के सभी भागों में अबाध पहूँच रखेंगे जिसके अंतर्गत इस अधिसूचना की अपेक्षाओं के कार्यान्वयन से संबंध रखने वाले उनके अभिलेख भी हैं ।

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

6. **प्रमाणीकरण** - निर्यातक के अनुरोध पर, केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने के पश्चात् विहित प्ररुप में एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र/ पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करेगा कि इन नियमों की अपेक्षानुसार हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य अनुमोदन संख्या वाली अनुमोदित स्थापन में ही संसाधित किए गए हैं ।

7. फीस :- (1) निर्धारण के लिए फीस सक्षम प्राधिकरण को हड्डी मिलों/संग्रहण केन्द्रों के लिए निर्धारण फीस प्रति दो वर्ष में तीन हजार रुपये और ओसीन और जिलेटिन स्थापनों के लिए पांच हजार रुपए की दर से संदेय होगी ।

(2) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र या पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के लिए फीस, मानव उपभोग के लिए आशयित हड्डियों का चूर्ण, आसीन और जिलेटिन के प्रत्येक परेषण के लिए निर्यातक द्वारा केन्द्रीय सक्षम प्राधिकरण को निम्नलिखित दर पर फीस संदेय होगी।

(i) हड्डियों का चूर्ण -एक हजार रुपए
(ii) ओसीन और जिलेटिन - पॉच हजार रुपए

अंतिम तकनीकी उपयोग के लिए निर्यातक द्वारा हड्डियों का चूर्ण, ओसीन और जिलेटिन के प्रत्येक परेषण के लिए केन्द्रीय सक्षम प्राधिकरण को निम्नानुसार फीस संदेय होगी।

(i) हड्डियों का चूर्ण - पाँच सौ रुपए
(ii) ओसीन और जिलेटिन - दो हजार पाँच सौ रुपए

तथापि, पाँच किलोग्राम शुध्द भार से अनधिक के निर्यात किए जाने वाले सद्भाविक नमूनों से कोई फीस संदेय नहीं की जाए।।

8. अपील - (1) सक्षम प्राधिकारी के विनिर्णय के विरुद्ध अपील,

(क) सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति या तो इस अधिसूचना के नियम 5.के उपनियम 1 के अधीन वह अनुमोदन का अभिलेख नहीं रखता है या अधिसूचना के नियम 5. के उपनियम (5) के अधीन अनुमोदन वापस लेता है तो ऐसी संसूचना की प्राप्ति से पैंतालीस दिन के भीतर केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(ख) अपील को उसकी प्राप्ति के तीस दिन के भीतर निपटान करना होगा ।

(2) केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी के विनिर्णय के विरुद्ध अपील -

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

(क) केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन न देने के विनिर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति नियम 5.के उपनियम (1) के अधीन वह अनुमोदन का अभिलेख नहीं रखता है या नियम 6 के अधीन स्वास्थ्य प्रमाणपत्र /पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी नहीं करता है तो ऐसी संसूचना की प्राप्ति से पैंतालीस दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(ख) अपीलीय प्राधिकरण की कुल सदस्यता में से कम से कम दो तिहाई गैर- सरकारी होंगे।

(ग) अपीलीय प्राधिकरण की किसी बैठक की गणपूर्ति तीन होगी ।

(घ) अपील को उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर निपटान करना होगा ।

[फा. सं. 3/61/2007-निर्यात निरीक्षण]
देविन्दर सिंह ढेसी, संयुक्त सचिव

IndiaCode

उपाबंध - 1

संग्रहण केन्द्र के लिए अपेक्षा

क) उनके पास पशुओं की हड्डी, चर्म, खाल, कण्डरा और स्नायु प्राप्त करने का और स्थापनों को उनके परिवहन के लिए प्राप्त किए जाने वाले स्थान आच्छादित हों।

ख) उनके पास ऐसे आधानों को जिसमें पशुओं की हड्डियों, चर्म, खाल, कण्डरा और स्नायु प्राप्त किए जाते हैं के साथ-साथ परिवहन में प्रयुक्त यानों की सफाई और विसंक्रामण करने की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।

ग) उनके पास भंडारण कक्ष जिसमें कठोर फर्श और चिकनी दीवारें हों जिन्हें आसानी से साफ और रोगाणुनाशित किया जा सके और वहाँ समुचित प्रशीतन की पर्याप्त सुविधाओं के प्रबंध किए गए हों।

घ) भंडारण कक्ष में सफाई और मरम्मत की संतोषजनक दशा रखी जानी चाहिए जिससे कि कच्ची सामग्री के लिए संदूषण का स्त्रोत न हों ।

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

उपाबंध - 2

स्थापन सहित एकीकृत वधशाला के लिए अपेक्षा

वधशाला के लिए अपेक्षाएं

1. वधशाला के निर्माण, खाका और उपस्कर में निम्नलिखित अनुपालन किया जाएगा ।

क. वधशाला में पर्याप्त और स्वास्थ्यकर बाड़े की सुविधाएं या जलवायु अनुमति दे तो प्रतीक्षा बाड़े की आसानी से सफाई और रोगाणुनाशित किया जा सकें । ये सुविधाएं पशुओं के पानी के लिए और यदि आवश्यक हो तो उनके लिए चारे के लिए भी सम्मिलित होंगे।

ख अन्य पशुओं को बचाने के लिए ध्यान में रखते हुए वे रोगी या रोग संदेहास्पद पशुओं के लिए पृथक सुविधाएं भी करेंगे ।

ग. बाड़ो की खाका में मृत्यु पूर्व निरीक्षण सुविधा हो ।

घ. फर्श जलरोधक, आसानी से सफाई और रोगाणुनाशित किया जा सके और इस प्रकार संयोजित हो कि जल का आसानी से निकास हो तथा जल निकास के उपकरण उपलब्ध हों । फर्श पर जल का ठहराव नहीं होगा।

ड़ मांस के खरखाव के क्षेत्र की दीवारें स्थाई और चिकनी सतह वाली होगी जिनको आसानी से साफ किया जा सके और अभेद्य जलरोधक तथा हल्के रंग का होगा।

च. दीवारें प्रक्षेपण रहित होगी, सभी पाईप और केवल्स भलीभांति ढके हुए होंगे । दीवार से दीवार और दीवार से फर्श के जोड गोल, उपयुक्त स्वच्छ करने की सुविधा होगी।

छ. छत दरारों, खुले जोडों से रहित होगी और चिकनी होगी कडियों- रहित, पशु लोथों को लटकाने वाली युक्तियों के अपवाद को छोडकर, जल रोधक, हल्के रंग वाला और आसानी से साफ हो सकने वाला होगा।

ज. सभी दरवाजे और खिडकियां टिकाऊ तथा जंग रोधक सामग्री से निर्मित होगी और स्वतः बंद करने वाले प्रकार की होगी तथा सुगमता से साफ हो सकने वाले के साथ मक्खी रोधी सुविधा से युक्त होगी ।

झ. सभी प्रवेश बिन्दुओं पर पैर धोने के लिए उपयुक्त आकार के गढ्ढा प्रबंध सुविधा होगी। गड्ढे में जल और रोगाणुनाशित व्यवस्था होगी। गड्ढे के जल को नियत अंतराल पर बदला जाएगा।

ञ. उपकरणों और काम में आने वाले उपस्करों यथा मेज, आधानों , कन्वेयर बेल्ट, चाकू छुरियां तथा प्रयुक्त अन्य बर्तन चिकने जंगरोधक सामग्री के होंगे जिन्हें आसानी से साफ किया जा सके, पानी से धोया जा सके और रोगाणुनाशित किया जा सके।

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

ट. वे 82 सेंटीग्रेड से अन्यून गर्म पानी के साथ या किसी समतुल्य की वैकल्पिक प्रणाली सहित औजारों को रोगाणुनाशित करने की सुविधाएं अवश्य रखेंगे।

ठ.खुले मांस की उठाई धराई करने वाले कर्मचारिवृन्द द्वारा हाथ धोने के लिए प्रयुक्त उपकरण में संदूषण का विस्तार रोकने का डिजाइन किए गए नल अवश्य लगे होने चाहिए।

ड. रोके हुए मांस के प्रशीतिक भंडारण के लिए ताला लग सकने वाली सुविधाएं अवश्य होगी और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित मांस के भंडारण की ताला लगाने योग्य की पृथक सुविधा अवश्य होगी।

2.. वधशाला में मांस को संदूषण से बचाने के लिए, निम्नलिखित अवश्य होंगे-

क) पर्याप्त संख्या में कक्ष, जो संचालित प्रचालनों को करने के लिए उपयुक्त होंगे,,

ख) आमाशय और आंतों को खाली करने और सफाई करने के लिए पृथक कक्ष होंगे,

ग) संस्थापन मांस और फर्श, दीवारों तथा फिक्सर के परस्पर सम्पर्क को रोकेगा,

घ) वध रेखा (जहाँ कार्यरत हों) जो इस प्रकार से डिजाइन किए गए हो कि वध प्रक्रिया की निरन्तर प्रगति को चलाने में समर्थ हो और वध रेखा विभिन्न भागों के बीच परस्पर संदूषण को रोक सकती हो। जहाँ एक ही परिसर में एक से अधिक वध रेखा प्रचालन में हों, वहाँ रेखा में परस्पर संदूषण को रोकने में रेखाओं की पर्याप्त पृथकता होनी चाहिए।

वध स्वास्थ्यकर

3. वधशाला में लाए जाने वाले जीवित पशुओं में निम्न का अनुपालन होगा,

(क) केवल जीवित स्वस्थ पशु , सिवाय उनके जो दुर्घटना ग्रस्त हुए हों, वध के लिए ले जाए जाएंगे।

ख) पशुओं को उनके संग्रहण और परिवहन के दौरान बिना अनावश्यक पीडा पहुंचाए सावधानी से संभाला जाएगा।

(ग) ऐसे पशु जिनमें रोग के लक्षण हों या ऐसे किसी झूंड से आते हों जो लोक स्वास्थ्य के महत्व के अभिकर्ताओं से संक्रमित रहने वाले झूंडों के रुप में जाने जाते हों उन्हें वधशाला तभी लाया जाए जब सक्षम प्राधिकारी ने ऐसा करने का अनुज्ञा पत्र दिया हो।

4. वधशाला में पहुंचने के बाद, पशुओं के वध में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाएगा।

5. पशु अवश्य साफ होंगे।

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

6. वध किए जाने वाले प्रत्येक पशुओं को मृत्यु पूर्व पशु चिकित्सक के हिसाब से निरीक्षण प्रक्रिया से गुजरना होगा।

7. अचमिकरण, रक्तप्रवाहीकरण, खाल उधेडने की क्रिया और अन्य ड्रेसिंग की क्रियाएं बिना अनावश्यक विलम्ब के इस तरह सम्पन्न की जाएगी जिससे मांस को संक्रमित होने से बचाया जा सके।

8. सभी वध किये गये पशुओं का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार शव परीक्षण किया जाएगा।

9. शव परीक्षा निरीक्षण के पश्चात्

(क) स्थापन के स्वच्छ सेक्टर से मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त भागों को यथाशीघ्र हटा लिया जाएगा।

(ख) मानव उपभोग के अनुपयुक्त रोके गए या घोषित किए गये मांस को और अखाद्य उपोत्पाद को किसी भी दशा में मानव उपभोग के लिए उपयुक्त घोषित खाद्य मांस के साथ सम्पर्क में नहीं आने दिया जाएगा।

(ग) शव में आन्तरांग या शव के आंतराग का अवशेष कोई भाग, बृक्क को छोड़कर समग्र रुप से यदि संभव हो यथाशीघ्र हटा लिया जाएगा जबतक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा अधिकृत न किया गया हो।

10. निरीक्षण और आन्तरांग निकालने के पश्चात, वध किए गए पशुओं को स्वच्छ किया जाए और यथाशीघ्र अधिकतम 4 सेंटीग्रेड के तापमान पर शीतित किया जाएगा, उस स्थिति को छोड़कर जब मांस को गर्म रहते हुए काटा गया हो।

11. शव में दिखाई पडने वाला संक्रमण नहीं होगा और अन्य ड्रेसिंग बिना अनावश्यक विलम्ब के इस प्रकार और ऐसी रीति से किया जाएगा जिससे मांस को संक्रमित होने से बचाया जा सके ।

12. शव और छीछड़े को फर्श, दीवारों या काम करने के स्टेंडों के सम्पर्क में नहीं लाया जाना चाहिए।

उपाबंध - 3

हड्डियों के चूर्ण के संसाधन स्थापन के लिए अपेक्षा

स्थापन में,

1. परिभाषित उपास्थि और स्वच्छ क्षेत्र होगा ,
2. परिसर के अंदर पानी का जमाव या किसी कृन्तक शरण स्थल के चिन्ह नहीं होंगे।
3. हवा से धूल उडने से रोकने के लिए सडकें तारकोल या घास से आवृत्त होगा।

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

4. अपरिष्कृत हड्डियों को प्राप्त करने के लिए समुचित आच्छादित स्थान होगा ।
5. अपरिष्कृत हड्डियों के भंडारण को कठोर, चिकना और धोने योग्य फर्श होगा।
6. अपरिष्कृत हड्डियों के भंडारण क्षेत्र में जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था होगा।
7. हड्डियों के चूर्ण के भंड़ार के लिए एक स्थायी संरचना होगा।
8. दीवारें चिकनी, हल्के रंग वाली और बिना दरारों वाली होंगी।
9. दीवारें जलरोधी और स्वच्छ किए जाने योग्य स्विच तथा अन्य संस्थापन होंगे।
10. कर्मचारिवृन्द के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय, कपड़े बदलने के कक्ष और वाश बेसिन को मुख्य प्रसंकरण भाग से दूर होगा।
11. कीडों, कृंतकों जैसे जन्तुओं और पक्षियों से संरक्षण के लिए नाशकजीव की पर्याप्त व्यवस्था होगा।
12. स्वच्छता को ध्यान में रखकर जल के निकास की सुविधा होगा।
13. हड्डियों को ले जाने वाले यानों के आधान को स्वच्छ और विसंक्रमित करने की समुचित व्यवस्था होगा, और
14. कंटेनरों या पात्रों में जिनसे अपरिष्कृत हड्डियों को प्राप्त किया जाता है और यानों को जिन पर वे परिवहन होती हैं उनको स्वच्छ और विसंक्रमित करने की समुचित सुविधा होगा।

उपाबंध - 4

ओसीन के प्रसंस्करण स्थापन के लिए अपेक्षाएं

प्रस्थापन में,

1. परिभाषित उपास्थि और स्वच्छ क्षेत्र होगा,
2. परिसर के अंदर पानी का जमाव या किसी कृन्तक शरण स्थल के चिन्ह नहीं होगा,
3. हवा से धूल उडने से रोकने के लिए सड़कें तारकोल या घास से आवृत्त होगा ।
4. इस प्रकार से डिजाइन की गयी हो कि सतह पर धूल एकत्र होने, विषैले पदार्थों के साथ सम्पर्क को, भोजन के कणों के एकत्र होने और उनके जमाव को भी जमाव या अवांछित फफूंदी के निर्माण से संक्रमण को रोकेगा।
5. हड्डियों के चूर्ण को प्राप्त करने के लिए ऐसा पृथक आच्छादित स्थान होगा जिसे आसनी से स्वच्छ और विसंक्रमित किया जा सके।

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

6. कर्मचारिवृन्द के लिए पर्याप्त शौचालय, कपडे बदलने के कक्ष और वाशबेसिन होगा,

7. परिष्कृत उत्पादों के प्रसंस्करण क्षेत्र और भंडारण के स्थानों को प्राप्ति स्थान से पृथकता होगा,

8. चर्बी रहित करने के लिए चर्बी रहित और सूखी हड्डियों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगा।

9. हड्डियों के चूर्ण की प्रसंस्करण के लिए गर्म पानी/भाप की पर्याप्त उत्पादन क्षमता रखेगा ।

10. समय के साथ ताप परिमापक उपकरण , यदि आवश्यक हो जिनमें अपर्याप्त ताप को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रणाली सहित जोखिम बिन्दुओं का दबाव दर्शाया जा सके। लगाया हुआ होगा ।

11. स्वच्छ पदार्थो और संदूषण के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधा होगा ।

12. संक्रमण के जोखिम को रोकने के लिए पर्याप्त जल निकास की सुविधा होगा।

13. अपशिष्ट जल की निपटान प्रणाली जो केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियामक बोर्ड की आवश्यकताओं को पूरा करती हो, रहेगा।

14. विश्लेषण करने के लिए आवश्यक उपकरणों से भलीभांति सज्जित अपनी प्रयोगशाला रहेगा या केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बाहरी प्रयोगशालाओं की सेवाओं को उपयोग में लाएगा।

15. स्वच्छ और गंदे क्षेत्रों के मध्य कार्मिकों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए समुचित प्रणाली स्थापित होगा।

16. नाशक जीव नियंत्रण हेतु दस्तावेजी कार्यक्रम ।

17. स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत पर्यावरण, उपस्करों का निरीक्षण और निरीक्षण अनुसूचियां और कम से कम दो वर्षों के लिए निरीक्षण परिणाम भी हैं, रखा जाएगा ।

18. संक्रमण निवारण के लिए तैयार उत्पादों के लिए भंडारण क्षेत्र रखा जाएगा ।

19. स्थापन के सभी भागों के लिए सुव्यवस्थित और दस्तावेजी प्रणाली रखा जाएगा ।

20. संदिग्ध या पहचाने हुए किसी संदूषित पदार्थों के निपटान की प्रणाली होगी।

21. मानव उपभोग के लिए आशयित या मानव उपभोग के लिए आशयित नही ओसीन को पृथक रुप से भंडारकरण के लिए व्यवस्था होगा ताकि उत्पादन और परिवहन के दौरान उनकी पहचान योग्य बनी रहे।

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

उपाबंध - 5

स्थापन में जिलेटिन प्रसंस्करण के लिए अपेक्षाएं

क. अपरिष्कृत सामग्री

1. जिलेटिन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित अपरिष्कृत पदार्थ/ पदार्थों का उपयोग किया जाएगा।

क) ओसीन

ख) हड्डियों का चूर्ण,

ग) गौजातीय पशुओं की चर्म और खाल तथा त्वचा,

परन्तु वे किसी चर्मशोधन प्रक्रिया से गुजरे हों।

घ) सूअर की त्वचा,

ड़) मुर्गे मुर्गियों की त्वचा,

च) कंडरा और स्नायु,

छ) मछली की त्वचा, शल्क और हड्डियां

2. ओसीन को ओसीन के लिए अनुमोदित स्थापनों से, हड्डी मिलों से हड्डियों के चूर्ण, और अन्य अपिरष्कृत सामग्री सीएपीईएक्सआईएल या केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित कोई अन्य प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकृत संग्रहण केन्द्रों से उपाप्त करेगा,
3. अपरिष्कृत सामग्री को उसके उद्भव और अनुमार्गणीय बनाए रखने के लिए संबंधित आवश्यक सूचनाओं वाले दस्तावेज के साथ उपाप्त करेगा।

ख. स्वच्छता अपेक्षाएं - स्थापन में

1. जिलेटिन के प्रसंस्करण के लिए अपरिष्कृत सामग्री प्राप्ति हेतु ढका स्थान होगा।
2. स्वच्छ और अस्वच्छ सेक्टर को उपयुक्त् रुप से पृथक रखा जाएगा।
3. निर्माण इस प्रकार का होगा कि जो आसानी से साफ और विसंक्रमित हो।
4. फर्श की सतह चिकनी होगा और फर्श इस भांति बनी होगी जिसमें द्रव्य निकास की सुविधा हो।
5. पर्याप्त संख्या में, शौचालय, कपड़े बदलने का कक्ष और, वाशबेसिन की सुविधा के साथ बहता जल की व्यवस्था होगी।
6. नाशीजीव जैसे कीटों, कृन्तक और पक्षियों से संरक्षण के लिए समुचित व्यवस्था होंगी ।
7. अपशिष्ट निपटान की समुचित प्रणाली रहेगा।
8. आवश्यक विश्लेषण करने के लिए अपनी प्रयोगशाला रहेगा या केन्द्रीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बाहरी प्रयोगशाला की सेवाओं का उपयोग में लाएगा ।
9. यह सुनिश्चित करेगा कि अस्वच्छ सेक्टर में कार्यरत व्यक्ति स्वच्छ सेक्टर में बिना अपने कार्य के कपड़े और जूतादि बदले या विसंक्रमित किए प्रवेश नहीं करे।

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

10. यह सुनिश्चित करेगा कि उपष्करों और बर्तनों को अस्वच्छ सेक्टर से स्वच्छ सेक्टर में बिना साफ या विसंक्रमित किए बिना न ले जाया जाए ।

11. यह सुनिश्चित करेगा कि संयंत्र के पर्यावरण और उपस्कर की नियमित निरीक्षण के माध्यम से संयंत्र की स्वच्छतता का नियंत्रण करेगा, और

12. सुनिश्चित करेगा कि संस्थापनों और उपकरणों की मरम्मत अच्छी दशा में है और नियमित अंतराल पर मापक उपकरणों का अंशाकन किया जाता है।

ग. उत्पादन प्रक्रियाः

जिलेटिन उत्पादन प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ;

(क) सभी हड्डियों की सामग्री का चूरा किया गया है तथा गर्म पानी से चर्बी रहित करके और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड (जिसकी न्यूनतम सांद्रता 4 प्रतिशत और पीएच < 1.5 हो) से कम से कम दो दिन तक अभिक्रिया की जाएगी। इस अभिक्रिया के पश्चात् निम्नलिखित में से कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगीः-

(i) क्षारीय संतृप्त चूने के घोल (पीएच < 12.5) से कम से कम 20 दिनों की अवधि के लिए कम से कम 4 सेकेंड के लिए 138 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम के तापमान पर उपचारित करेगा ; या

(ii) अम्ल (पीएच < 3..5) से न्यूनतम दस घंटे की अवधि लिए कम से कम 4 सेकेंड के लिए 138-140 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम के तापमान पर अभिक्रिया करेगा ; या

(iii) उष्मा और दाब की प्रक्रिया संतृप्त भाप में कम से कम 20 मिनट के लिए 133 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक से अधिक तीन बार की जायेगी ; या

(iv) कोई अनुमोदित समतुल्य प्रक्रिया ।

(ख) अन्य कच्ची सामग्री में अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया के अधीन एक या दो बार प्रक्षालन किया जाएगा तत्पश्चात् पीएच समायोजित की जाएगी । लगातार एक या दो बार गर्म करके निचोड़कर जिलेटिन निष्कर्षित किया जाएगा जिसके पश्चात छानकर और उष्मा अभिक्रिया क उपाय द्वारा इसका शुध्दिकरण किया जाएगा ।

(ग) उत्पादक, मानव उपभोग के लिए आशयित जिलेटिन और मानव उपभोग के लिए आशयित नहीं जिलेटिन दोनों का उत्पादन तथा भंडारण एक ही स्थापन में कर सकता है परन्तु मानव उपभोग के लिए आशयित जिलेटिन की अपेक्षाओं के अनुसार अपरिष्कृत सामग्री और उत्पादन प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ।

(घ) सल्फर डाइआक्साइड / हाइड्रोजन पैराक्साइड के अलावा किसी अन्य परिरक्षण का उपयोग प्रतिषिध्द है ।

1231 GI/12-3

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

घ. तैयार उत्पादों के लिए अपेक्षाएं

जिलेटिन के प्रत्येक बैच का उत्पादन, परीक्षणों के अधीन रहते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं -

1. सूक्ष्मजीवी मानदंड

प्राचल	**सीमा**
सालमोनेल्ला	25 ग्राम में अविद्यमान

2. अवशिष्ट

तत्व	**सीमा**
आर्सेनिक(एएस)	1 पीपीएम
सीसा(पीबी)	5 पीपीएम
केडेमियम(सीडी)	0.5 पीपीएम
मरक्यूरी (एचजी)	0.15 पीपीएम
क्रोमियम (सीआर)	10 पीपीएम
तांबा (सीयू)	30 पीपीएम
जिंक (जेडएन)	50 पीपीएम
सल्फर डायआक्साइड (एसओ2)	50 पीपीएम
हाइड्रोजन पैराक्साइड (एच 2 ओ 2)	10 पीपीएम

ड. पहचानः

क. प्रसंस्करणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि मानव उपभोग के लिए आशयित जिलेटिन को पृथक रखा जाए ताकि वे उत्पादन, भंडारण और परिवहन के दौरान पहचाने जा सकते हों। भंडारण और परिवहन के दौरान आधान, कार्टिन या अन्य पैकेजिंग पदार्थ के बाहर एक लेबल चिपकाया लगाया जाएगा जो स्पष्टतः यह दर्शाएगा कि " मानव उपभोग के लिए आशयित या " मानव उपभोग के लिए आशयित नहीं " । जिलेटिन की पैकिंग के लिए मानव उपभोग के लिए उपयुक्त न्यूनतम समयावधि की तारीख भी दर्शायी जाएगी।

ख. प्रत्येक निर्यात पैकेज पर स्पष्ट और अमिट चिन्ह निम्नलिखितानुसार होंगेः

(i) अनुमोदन संख्या सहित प्रस्थापन का नाम तथा पता

(ii) निर्यातक का नाम और पता ; यदि प्रस्थापन विभिन्न हों

(iii) बैच या लॉट संख्या ;

(iv) प्रसंस्करण या विनिर्माण का वर्ष, माह ;

(v) निरंतरता की न्यूनतम तारीख ;

(vi) कुल भार और शुध्द भार ;

(vii) " मानव उपभोग के लिए आशयित जिलेटिन " या " पशु उपभोग/ तकनीकी प्रयोजन के लिए उपयुक्त जिलेटिन " अंतिम उपभोग पर निर्भर , और

(viii) भारत का उत्पाद

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2012

S.O. 726(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Bone Mill" means a premise where bones are crushed. A bone mill may have integrated collection centre;

(c) "Central Competent Authority" means the Export Inspection Council established under the section 3 of the Act;

(d) "Collection Center" means premises used for collection of bones, hides, skin, tendons and sinews of animals and their transportation to the establishments;

(e) "Competent Authority" means any authority authorized or designated or recognized by the Central Competent Authority for approval and monitoring of establishment processing Crushed Bones, Ossein and Gelatine intended for exports;

(f) "Crushed Bones" means crushed bones of animals of bovine origin in different sizes for use in the production of Ossein and Gelatine and includes degreased bones chips and gel bones;

(g) "Director" means the Director of Inspection and Quality Control appointed by the Central Government under section 4 of the Act;

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

(h) "Establishment" means any premises where Crushed Bones or Ossein or Gelatine are prepared, processed, packaged or stored;

(i) "Gelatine" means the natural, soluble protein, gelling or non-gelling intended for human consumption or not intended for human consumption, obtained by the partial hydrolysis of collagen produced from bones, hides and skins, tendons and sinews of animals.

(j) "Health Certificate" means a certificate issued as per the requirements of the importing country;

(k) "Ossein" means the organic matrix of the bone left behind when the mineral salts are dissolved in dilute acid. It is chemically similar to collagen after de mineralizing the bones with dilute hydrochloric acid;

(l) "Slaughter house" means the building, premises or place which is approved by the local authority of the State Government or competent authority for the slaughtering the animals;

3. Basis of compliance:- (1) It shall be the primary responsibility of the collection centre to ensure that bones, hides, skin, tendons and sinews of animals are handled, stored and transported in hygienic conditions.

(2) It shall be the primary responsibility of the establishment to ensure that the Crushed Bones, Ossein and Gelatine intended for export are handled and processed at all stages of production, storage and transportation under hygienic conditions so that the health requirements laid down under these rules are met and the product conforms to the specifications given in the Order by the Central Government under section 6 of the Act. For this purpose, the establishment shall adopt Good Manufacturing Practices, Good Hygiene Practices and Hazard Analysis and Critical Control Point system, as applicable to it.

(3) The Central Competent Authority shall issue necessary instructions from time to time for registration, approval, monitoring and withdrawal of approval of collection centres, bone mills and establishments.

(4) Ossein and Gelatine shall not contain residues of notified substances in excess of the permitted levels or as fixed by the importing countries.

4 Conditions to be complied for export of Crushed Bones, Ossein and Gelatine.- (1) Any statutory restriction including commercial, environmental or conservation measure imposed from time to time by Central or State Government authorities.

(2) Raw materials used for the manufacture of Crushed Bones, Ossein or Gelatine must be derived from animals slaughtered in a slaughter house and whose carcasses have been found fit for human consumption following ante and post –

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

mortem inspection or, in the case of hides and skins, from animals found fit for human consumption.

(3) The collection centers shall comply with the requirements given in **Annexure – I**.

(4) The slaughter houses integrated with establishment shall comply with the requirements given in **Annexure – II**. Other slaughter houses must be approved by the State Governments and complying with the norms prescribed by the Food Safety and Standards Authority of india.

(5) Crushed bones, Ossein or Gelatine intended for export shall be processed and packed only by an approved establishment. Such establishments shall adopt Good Manufacturing Practices, Good Hygiene Practices and Hazard Analysis and Critical Control Point system, as applicable to them.

(6) The establishment processing Crushed Bones shall comply with the requirements given in **Annexure – III**. Such establishments shall procure bones only from bone collection centers registered with Chemical and Allied Export Promotion Council of India (CAPEXIL) or any other authority designated for the purpose by the Central Competent Authority.

(7) The establishment processing Ossein shall comply with the requirements given in **Annexure – IV**. Such establishments shall procure crushed bones only from bone mills registered with Chemical and Allied Export Promotion Council of India (CAPEXIL) or any other authority designated for the purpose by the Central Competent Authority.

(8) The establishment processing Gelatine shall comply with the requirements given in **Annexure – V**. Such establishments shall procure crushed bones, hides, skin, tendons and sinews of animals only from bone mills / collection centres registered with Chemical and Allied Export Promotion Council of India (CAPEXIL) or any other authority designated for the purpose by the Central Competent Authority.

(9) The establishments processing Crushed Bones, Ossein and Gelatine shall comply with the specific requirements of the importing country as per the instructions issued by the Central Competent Authority.

(10) An establishment shall have a responsible person empowered to take all necessary measures at all stages of production to ensure that all requirements prescribed for the establishment are complied with.

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

5. Approval, inspection and monitoring of collection centres and establishments.- (1) Having satisfied itself that the establishment meets the requirements with regard to nature of activities it carries out, the Competent Authority shall accord approval to such establishment. The approved establishment shall be allotted an approval number.

(2) If the establishment decides to carry out activities other than those for which it has been approved, it shall obtain specific approval of the Central Competent Authority prior to the commencement of the new activity.

(3) The Competent Authority shall periodically draw a list of establishments approved by it and forward the same to the Central Competent Authority. Subsequent changes made in the list shall also be communicated to the Central Competent Authority.

(4) The registered bone mills / collection centres and approved establishments shall be regularly monitored by the Competent Authority.

(5) The Competent Authority shall take necessary measures if the requirements cease to be met.

(6) The Central Competent Authority shall ensure that the Competent Authority carries out its responsibilities as per the instructions issued by it from time to time. For this purpose, the Central Competent Authority shall conduct corporate audit of the Competent Authority at least once in a year.

(7) The Central Competent Authority shall notify appropriate authorities of the list of approved establishments.

(8) The Central Competent Authority shall conduct supervisory audits of the registered bone mills / collection centres and approved establishments to ensure that their registration, approval and monitoring is being carried out by the Competent Authority in accordance with the instructions issued by it and the provisions of these rules.

(9) The Central Competent Authority and the Competent Authority shall, at all times, have free access to all parts of the collection centres and approved establishments including their records pertaining to implementation of requirements of this notification.

6. Certification .- On request from the exporter, the Central Competent Authority shall issue health / veterinary certificate, in the prescribed performa after satisfying itself that the Crushed Bone, Ossein and Gelatine was processed in the approved establishment having valid approval number issued by the Competent Authority as per the requirements of these rules.

7. Fee.- (1) Fee for Assessment: An assessment fee at the rate of rupees three thousand shall be paid by the bone mills / collection centres and rupees five thousand by Ossein and Gelatine establishments to the competent authority every two years.

(2) Fee for Health or Veterinary Certificate.- A fee at the rate given here under shall be paid by the exporter to the Central Competent Authority for every consignment of Crushed Bone, Ossein and Gelatine intended for human consumption.

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

(i) Crushed Bones: Rupees one thousand
(ii) Ossein and Gelatine : Rupees five thousand

A fee at the rate given hereunder shall be paid by the exporter to the Central Competent Authority for every consignment of Crushed Bones, Ossein and Gelatine intended for technical end use.

(i) Crushed Bones: Rupees five hundred
(ii) Ossein and Gelatine: Rupees two thousand five hundred

However no fee shall be payable for export of bonafide samples not exceeding five kilograms net weight.

8. Appeal: (1) Appeal against the decision of the Competent Authority:

(a) Any person aggrieved by the decision of the Competent Authority either not to accord it approval under sub-rule (1) of rule 5 or to withdraw approval under sub-rule (5) of rule 5 may prefer an appeal within forty-five days of the receipt of such communication to the Central Competent Authority.

(b) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt,

(2) Appeal against the decision of the Central Competent Authority:

(a) Any person aggrieved by the decision of the Central Competent Authority either not to accord it approval under sub-rule (1) of rule 5 or not to issue health or veterinary certificate under rule 6 may prefer an appeal within forty five days of the receipt of such communication to an Appellate Authority appointed by the Central Government.

(b) At least two-thirds of the total membership of the Appellate Authority shall consist of non- officials.

(c) The quorum for any meeting at the Appellate Authority shall be three.

(d) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.

[F. No. 3/61/2007-Export Inspection]

DEPINDER SINGH DHESI, Jt. Secy,

Annexure –I

REQUIREMENT FOR COLLECTION CENTERS

a) They must have covered place to receive bones, hides, skin, tendons and sinews of animals and their transportation to the establishments.

b) They must have adequate facilities for cleaning and disinfection of the containers in which bones, hides, skin, tendons and sinews of animals are received as well as the vehicles used for their transportation.

1231/G1/12-5

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

c) They must have storage rooms with hard floors and smooth walls that are easy to clean and disinfect and, where appropriate, provided with refrigeration facilities.

d) The storage rooms must be kept in a satisfactory state of cleanliness and repair, so that they do not constitute a source of contamination for the raw materials.

Annexure – II

REQUIREMENT FOR SLAUGHTER HOUSE INTEGRATED WITH ESTABLISHMENT

Requirement for Slaughter House

1. The construction, layout and equipment of slaughterhouse shall comply with the following:

a. Slaughterhouses shall have adequate and hygienic lairage facilities or climate permitting, waiting pens that are easy to clean and disinfect. These facilities shall be equipped for watering the animals and, if necessary, feeding them.

b. They shall also have separate facilities for sick or suspect animals to avoid contamination of other animals.

c. The lay out of the lairage shall facilitate ante-mortem inspections.

d. The floor shall be water proof, easy to clean and disinfect and laid down in such a way as to facilitate the drainage of the water easily or provided with equipment to remove water. There shall be no water stagnation on the floor.

e. The walls of the meat handling area shall be durable and have smooth surface which are easy to clean, and impermeable waterproof and light colored.

f. Walls shall be free from projection, all pipes and cables shall be neatly covered. Wall to wall and wall to floor junctions shall be rounded off to facilitate proper cleaning.

g. Ceiling shall be free from cracks, open joints and shall be smooth, free from rafters other than carcasses hanging devices, waterproof, light colored and easy to clean.

h. All doors and windows shall be durable and made of corrosion resistant material and shall be of self-closing type and easy to clean with fly proofing arrangements.

i. All entry points shall be provided with feet washing pit of suitable size. The pit shall be provided with water and disinfectant. The pit-water shall be changed at frequent interval.

j. Instruments and working equipments such as tables, containers, conveyor belts, knives and other utensils used shall be of smooth corrosion resistant materials, easy to clean, wash with water and disinfectants.

k. They must have facilities for disinfecting tools with hot water supplied at not less than 82 °C, or an alternative system having an equivalent effect.

l. The equipment for washing hands used by the staff engaged in handling exposed meat must have taps designed to prevent the spread of contamination.

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

m. There must be lockable facilities for the refrigerated storage of detained meat and separate lockable facilities for the storage of meat declared unfit for human consumption.

2. To avoid contaminating meat, the slaughterhouses must have

a) sufficient number of rooms, appropriate to the operations being carried out;

b) separate room for the emptying and cleaning of stomachs and intestines;

c) installations that prevent contact between the meat and floors, walls and fixtures; and

d) slaughter lines (where operated) that are designed to allow constant progress of the slaughter process and to avoid cross-contamination between the different parts of the slaughter line. Where more than one slaughter line is operated in the same premises, there must be adequate separation of the lines to prevent cross-contamination.

Slaughter Hygiene

3. Live animals brought in to the slaughter house shall comply with the followings:

a. Only live, healthy animals shall be brought for slaughter except that met with an accident.

b. During their collection and transportation, the animals shall be handled carefully without causing unnecessary distress.

c. Animals showing symptoms of disease or originating in herds known to be contaminated with agents of public health importance may only be transported to the slaughterhouse when the competent authority so permits.

4. After arrival in the slaughterhouse, the slaughter of the animals must not be unduly delayed.

5. Animals must be clean.

6. Every animal to be slaughtered shall undergo ante-mortem inspection by the veterinarian.

7. Stunning, bleeding, skinning, evisceration and other dressing shall be carried out without undue delay and in a manner that avoids contaminating the meat.

8. Post-mortem inspection of all slaughtered animals shall be carried in accordance with the instructions issued by the competent authority.

9. After post-mortem inspection:

(a) parts unfit for human consumption must be removed as soon as possible from the clean sector of the establishment;

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

(b) meat detained or declared unfit for human consumption and inedible by-products must not come into contact with meat declared fit for human consumption; and

(c) viscera or parts of viscera remaining in the carcass, except for the kidneys, must be removed entirely, if possible, and as soon as possible, unless otherwise authorized by the competent authority.

10. After inspection and evisceration, slaughtered animals must be cleaned and chilled to not more than 4 °C as soon as possible, unless the meat is cut while warm.
11. The carcasses must not contain visible fecal contamination and other dressing must be carried out without undue delay and in a manner that avoids contaminating the meat.
12. Carcasses and offal must not come into contact with floors, walls or work stands.

Annexure – III

REQUIREMENT FOR ESTABLISHMENT PROCESSING CRUSHED BONES

The establishment shall have:

1. defined cartilage and clean area;
2. no stagnant water or signs of any rodent harborage inside the premises;
3. roads tarred or turfed to prevent windblown dust;
4. adequate covered place to receive raw bones;
5. hard, smooth and washable floor to store the raw bones;
6. proper drainage facility in the raw bone storage area;
7. permanent structure to store Crushed Bones;
8. the walls smooth, light colored and without crevices;
9. waterproof and cleanable switches and other installation of the wall;
10. adequate lavatories, changing rooms and wash basins for staff and these shall be away from the main processing portions;
11. adequate arrangement for protection against pests such as insects, rodents and birds;
12. a drainage facility to meet hygiene requirements;
13. adequate facility for cleaning and disinfecting the container vehicles carrying bones; and
14. adequate facilities for cleaning and disinfecting the containers or receptacles in which raw bones are received and the vehicles in which they are transported.

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

Annexure – IV

REQUIREMENTS FOR ESTABLISHMENTS PROCESSING OSSEIN

The establishment shall have:

1. defined cartilage and clean area;
2. no stagnant water or signs of any rodent harborage inside the premises;
3. roads tarred or turfed to prevent wind-blown dust;
4. designed in such a way to prevent accumulation of dirt, contact with toxic materials, the shedding of particles into food and formation of condensation or undesirable moulds on the surfaces;
5. separate covered area to receive Crushed Bones, which is easy to clean and disinfect;
6. adequate lavatories, changing rooms and wash basins for staff;
7. separation between receiving area, processing area and storage of finished products;
8. adequate provisions for degreasing and for receiving degreased and dried bone;
9. sufficient production capacity for hot water / steam for processing of Crushed Bones;
10. measuring equipment to monitor temperature against time, if necessary, pressure at critical points with adequate safety system to prevent insufficient heating;
11. adequate storage facility for cleaning materials and disinfectants;
12. adequate drainage facility to avoid risk of contamination;
13. waste water disposal system meeting the central / state pollution control board requirements.
14. well-equipped in-house laboratory to conduct analyses or make use of services of external laboratories approved by Central Competent Authority;
15. established control for movement of personnel between clean and unclean area;
16. documented pest control program;
17. hygiene control program, which include inspections of environment, equipment and inspection schedules and its results maintained for at least two years;
18. storage area for storing of finished product to preclude contamination;

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

19. established and documented cleaning procedure for all parts of the establishment;

20. system to dispose any material suspected or known to be contaminated;
21. provision for separately storing the Ossein intended and not intended for human consumption and are identifiable during production and transportation;

Annexure – V

REQUIREMENTS FOR ESTABLISHMENTS PROCESSING GELATINE

A. Raw Material

1. For the production of Gelatine, any of the following raw material / materials shall be used:
 a) ossein;

 b) crushed bones;

 c) hides and skins of bovine animals, provided they have not undergone any tanning process;

 d) pig skins;

 e) poultry skin;

 f) tendons and sinews; and

 g) fish skin, scales and bones.

2. Ossein shall be procured from approved ossein establishments, crushed bones from bone mills and other raw materials from collection centres registered with CAPEXIL or any other authority designated for the purpose by the Central Competent Authority.

3. Raw material procured by the establishment shall be accompanied by a document containing their origin and related information essential to maintain traceability.

B. Hygiene Requirements - The establishments shall –

1. have a covered space to receive the raw material for processing gelatine;
2. have a clean and unclean sector, adequately separated;
3. be constructed in such a way that it is easy to clean and disinfect;
4. have smooth floor surface and the floor laid down in such a way so as to facilitate the draining of liquids;
5. have adequate lavatories, changing rooms and wash basins with hand washing facilities with running water;
6. have appropriate arrangements for protection against pests, such as insects, rodents and birds;
7. have a waste disposal system;
8. have its own laboratory or make use of the service of an external laboratory approved by the Central Competent Authority to carry out necessary analysis;

IndiaCode

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

9. ensure that persons working in un-cleaned sector do not enter the clean sector without changing their working clothes and footwear;
10. ensure that equipment and utensils are not taken from the un-cleaned sector to clean sector without cleaning and disinfection;
11. ensure that plant hygiene is controlled through regular inspection of the environment and equipments; and
12. ensure that installations and equipments are kept in good state of repair and measuring equipments are calibrated at regular intervals.

C. Production process:

The production process of gelatine shall ensure that:

(a) all bone material is crushed and degreased with hot water and treated with dilute hydrochloric acid (at minimum concentration of 4% and pH<1.5) over a period of at least 2 days. This treatment shall be followed either by

(i) an alkaline treatment of saturated lime solution (pH>12.5) for a period of at least 20 days with a heat treatment step of 138 °C minimum during at least four seconds; or

(ii) an acid treatment (PH<3.5)during ten hours minimum with a heat treatment step of 138-140 °C minimum at least four seconds, or

(iii) a heat-and-pressure process for at least 20 minutes with saturated steam of 133°C at more than 3 bars ,or

(iv) any approved equivalent process.

(b) other raw materials are subjected to a treatment with acid or alkali, followed by one or more rinses. The pH shall be adjusted subsequently. Gelatine shall be extracted by heating one or more times in succession, followed by purification by means of filtration and heat treatment.

(c) gelatine, whether intended for human consumption or not intended for human consumption, is produced and stored in the same establishment provided that the raw materials and production process comply with requirements applying to gelatine intended for human consumption.

(d) the use of preservatives other than sulphur dioxide / hydrogen peroxide is prohibited.

D. Requirements for finished products:

Each production batch of gelatine shall be subjected to tests to ensure that it meets the following criteria

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

1. Microbiological criteria:

Parameter	Limit
Salmonella	Absent in 25 gms

2. Residues:

Element	Limit
Arsenic (As)	1 ppm
Lead (Pb)	5 ppm
Cadmium (Cd)	0.5 ppm
Mercury (Hg)	0.15 ppm
Chromium (Cr)	10 ppm
Copper (Cu)	30 ppm
Zinc (Zn)	50 ppm
Sulphur dioxide (SO_2)	50 ppm
Hydrogen Peroxide ($H_2 O_2$)	10 ppm

E. Identification:

a. The processor shall ensure that Gelatine intended for human consumption is kept separately and is identifiable during production, storage and transportation. During storage and transportation, a label shall be affixed / attached to the container, carton or other packaging material, clearly indicating whether it is 'intended for human consumption' or 'not intended for human consumption'. Packages containing Gelatine fit for human consumption shall also indicate the date of minimum durability.

b. Each export package shall be legibly and indelibly marked with the following:

(i) Name and address of establishment with approval number;
(ii) Name and address of exporter, if different from the establishment;
(iii) Batch or lot number;
(iv) Year, month of processing or manufacturing;
(v) Date of minimum durability;
(vi) Gross weight and net weight;
(vii) "GELATINE INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION" or "GELATINE SUITABLE FOR ANIMAL CONSUMPTION / TECHNICAL PURPOSES", depending upon the end use; and
(viii) Product of India.

* * *

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)